भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3648

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

जाली मुद्रा नोट

3648. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान 100,200,500 और 2000 रुपये मूल्यवर्ग के वर्ष-वार कितने नकली नोट पकड़े गए हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जालसाजी पर अंकुश लगाने के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं या उन्नत मुद्रण तकनीकों की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कोई प्रायोगिक उपाय लागू किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार नकली नोटों की उत्पत्ति और प्रचलन के स्वरूप का पता लगाने के लिए फोरेंसिक या खुफिया-आधारित अध्यन कराने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नकली मुद्रा का वास्तविक समय पर पता लगाने और रोकथाम के लिए सरकार, आरबीआई और आसूचना ब्यूरो के बीच कोई औपचारिक समन्वय तंत्र मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए गठित संयुक्त अभियानों, आसूचना साझाकरण प्रोटोकॉल अथवा कार्यबलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान बैंकिंग प्रणाली में मूल्य-वार (अप्रैल-मार्च) तक पाए गए / रिपोर्ट किए गए जाली नोटों की संख्या निम्नानुसार है:

मूल्यवर्ग (₹)	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
					(नगों की संख्या)
100	1,10,736	92,237	78,699	66,310	51,069
200	24,245	27,074	27,258	28,672	32,660
500 (एमजी श्रृंखला)	9	14	6	11	5
500 [एमजी (नई) श्रृंखला]	39,453	79,669	91,110	85,711	1,17,722
1,000	2	11	482	1	2
2,000	8,798	13,604	9,806	26,035	3,508
कुल	2,08,625	2,30,971	2,25,769	2,22,639	2,17,396

(ख) से (ङ): भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से समय-समय पर बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार नई सुरक्षा विशेषताएं शामिल करने के लिए उपाय करती है। जालसाजों को विफल करने के लिए बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं/नए डिजाइन शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है।

जाली मुद्रा के प्रचलन का पता लगाने और उसके प्रचलन को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय और आसूचना ब्यूरो के बीच निम्नलिखित समन्वय तंत्र स्थापित हैं: -

i. एफसीओआरडी की बैठकों के माध्यम से समन्वय - आरबीआई सहित, विभिन्न प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना-साझाकरण को गृह मंत्रालय के अधीन आसूचना ब्यूरो (आईबी) के तहत गठित फेक इंडियन करेंसी नोट्स (एफआईसीएन) समन्वय समूह (एफसीओआरडी) की आवधिक बैठकें जो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती हैं, उसे सुसाध्य बनाया जाता है। ये बैठकें उभरते रुझानों की समीक्षा, खतरों का आकलन और जाली मुद्रा के खतरे के प्रति संस्थागत प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करती हैं।

ii. सीईआईबी के साथ डेटा साझाकरण- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग चैनल में पता लगाए गए जाली नोटों के तिमाही डेटा को, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए राज्यवार विश्लेषण के साथ, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) के साथ उनके अवलोकन और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए साझा करता है।

iii. एफआईयू-आईएनडी और एनसीआरबी को रिपोर्ट करना - धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2013 के नियम 8(1) के अंतर्गत मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बैंकों को नकद लेनदेन, जहाँ जाली नोट पाए जाते हैं, की सूचना अगले महीने की 15 तारीख तक वित्तीय आसूचना एकक- भारत (एफआईयू-आईएनडी) को देना अनिवार्य है। यह एफआईएननेट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जाली नोटों का पता लगाने संबंधी डेटा बैंकों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), नई दिल्ली के वेब-ऐनेबल्ड प्लेटफ़ॉर्म पर भी अपलोड किया जाता है।

iv. यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करना - इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा बनाना गया उच्च- क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 के नियम 8 के अनुसार, मुद्रणालयों को उस अवधि के दौरान उनके द्वारा विश्लेषित जाली मुद्रा नोटों की वार्षिक समीक्षा करनी होगी और भारतीय रिज़र्व बैंक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके आधार पर, आरबीआई विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की तीसरी अनुसूची में संशोधन, यदि कोई हो, के संबंध में केंद्र सरकार को अपनी सिफ़ारिश प्रस्तुत करता है।

*****